

कार्यादेश

मेसर्स. शौमित्र इण्टर प्राईजेज
गोरखपुर

कार्य का नाम— १३वें वित्त आयोग के अन्तर्गत वार्ड सं० २७ धर्मशाला बाजार में नये मिनी नलकूप का पम्प मोटर एवं राईजिंगमेन डालने का कार्य ।

उपरोक्त कार्य के लिए आपके पक्ष में रूपया ४,११,३७५.०० की स्वीकृति दिनांक-०७.११.२०१४ को सक्षम अधिकारी से प्राप्त कर ली गयी है। कृपया कार्यादेश जारी होने के तिथि से ६० दिन के अन्दर कार्य पूर्ण करके देयक भुगतान हेतु प्रस्तुत कर दें।

उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी सूचित किया जाता है कि कार्यादेश पाने के सात दिन के अन्दर रूपया १००.०० का स्टैम्प पेपर पर अनुबन्ध निष्पादित कर दें। साथ ही कार्यादेश प्राप्त होने के तीन दिन के अन्दर जमानत धनराशि रूपया ४१,०००.०० की एन०एस०सी०/एफ०डी०आर०/सी०डी०आर० देना आवश्यक है, जो महाप्रबन्धक (जल) के पक्ष में बन्धक रहेगा, जिसकी जाँच में कोई अनियमितता पाये जाने पर अनुबन्ध/कार्यादेश निरस्त समझा जायेगा तथा नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। यदि आप द्वारा निर्धारित समय के अन्दर अनुबन्ध पूर्ण नहीं किया गया तो ऐसी दशा में नगर निगम, गोरखपुर को यह अधिकार होगा कि सम्बन्धित कार्य को किसी अन्य एजेन्सी से पूर्ण करा लेगा। और इस पर जो भी क्षति होगी उसका समायोजन आपकी जमा किसी भी धरोहर धनराशि तथा अन्य कार्य के भुगतान से कर लिया जायेगा। यह शर्त आपको मान्य होगी तथा कार्य को गुणवत्तापूर्वक सम्बन्धित अवर अभियन्ता की देख रेख में करायेगें।

व.न. २६/११/१५
११/१५

↓
महाप्रबन्धक
जलकल विभाग
नगर निगम, गोरखपुर

प्रतिलिपि:

१. सहायक अभियन्ता (जल) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
२. क्षेत्रीय अवर अभियन्ता (जल) को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

↓
महाप्रबन्धक
जलकल विभाग
नगर निगम, गोरखपुर

पॉइंट नं० २७ धनशाला कक्षा में मिनी T/W नो क्लॉप



१५